



Refer: MSL/BSE/NSE/

07 June 2025

BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001
Scrip Code: **523371**

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai 400 051
Scrip Code: **MAWANASUG**

**Sub. : Advertisement regarding completion of dispatch of Notice of 61st
Annual General Meeting alongwith Integrated Annual Report**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached copy of the Advertisement regarding completion of dispatch of Notice of 61st Annual General Meeting alongwith the Integrated Annual Report for Financial Year (FY) 2024-25 of the company published on 07.06.2025 in Business Standard newspaper in English (all edition) and Business Standard newspaper in Hindi, Delhi edition.

You are requested to take the above information on records.

Thanking you,

Yours faithfully,

(ASHOK KUMAR SHUKLA)
COMPANY SECRETARY)

Encl : a/a

MAWANA SUGARS LIMITED

CIN : L74100DL1961PLC003413

Corporate Office:

Plot No. 03, Institutional Area
Sector-32, Gurugram-122 001 (India)
T 91-124-4298000 F 91-124-4298300

Registered Office:

5th Floor, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place
New Delhi-110025 (India)
T 91-11-25739103 F 91-11-25743659

E corporate@mawanasugars.com
www.mawanasugars.com





homefirst
We'll take you home

Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप निम्नवर्णित कर्जदारने ने तालिका में वर्णित सम्पत्ति बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्नवर्णित ऋण अनुबंध के संबंध में कर्जदार/ सह-कर्जदार गारंटर हैं। आपके द्वारा की गई चुको के फलस्वरूप आपका ऋण खाता वित्तीय अस्थिरता का प्रतीकभूत और पुनर्गठन तथा प्रतियुक्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेपतः सरकारी ऐक्ट) के प्रावधानों के तहत दिनांक 05.04.2025 को आचार्य आरित की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। हम, होम फर्स्ट फाइनैन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड ने सरकारी ऐक्ट की धारा 13(2) के साथ प्रतिक्रिया पत्र 13(1) के तहत मांग सूचना आपके द्वारा प्रस्तुत पते पर जारी की थी। उक्त सूचनाएं 03.06.2025 को जारी की गई हैं और इन सूचनाओं में बयान किया गया है कि आपने आपको मंजूर किए गए विभिन्न ऋणों के भुगतान में ढक की है। अतएव, सूचना की तामील के लिए एव सूचना सरकारी ऐक्ट की धारा 13(2) के प्रावधानों तथा प्रतियुक्ति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के निबन्धानों में प्रकृति की जा रही है:

क्र. सं.	खाता, कर्जदार(री), एवं गारंटर(री) का नाम और पता	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतियुक्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि और कुल बकाया राशि + आगे का ब्याज और अन्य चर्ख (रू. में)
1.	स्वर्गीय प्रभाष चंद (मृतक), पूजा, स्वर्गीय प्रभाष चंद (मृतक) के अन्य आपनूनी प्रतिनिधित्व	प्लॉट सं. 67 और 68, खसरा सं. 1614, कृष्ण विहार कॉलोनी, ग्राम सलेमपुर महदूद 2, परगना रुड़की, ठाडसी और जिला हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार के बाहर, हरिद्वार, उत्तराखंड, 249043 सीमाएं: पूर्व-प्लॉट सं. 67 का हिस्सा, पश्चिम-प्लॉट सं. 68 का हिस्सा, पश्चिम - अन्य का मकान, दक्षिण-18' चौड़ा रास्ता	17,28,597

आपने एतद्वारात होम फर्स्ट फाइनैन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड को उक्त बकाया राशि का भुगतान ब्याज और लागत के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, होम फर्स्ट फाइनैन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस सूचना के अथवा अधिक प्रतियुक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी जिसमें कर्जदार, गारंटर और गारंटरों की प्रतियुक्ति आस्थिरता का कच्चा विश्वास जताया समिलित है। होम फर्स्ट फाइनैन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड को उक्त अधिनियम के तहत उपलब्ध शक्तियों के तहत समिलित है (1) कर्जदारों/ गारंटरों की प्रतियुक्ति आस्थिरता का कच्चा लेन, जिसमें प्रतियुक्ति आस्थिरता के नदीकरणीक हेतु उक्तको लीज, बिक्री हेतु समुदयद्वारा द्वारा हस्तांतरित करने का अधिकार समिलित है (2) प्रतियुक्ति आस्थिरता के प्रथम अधिग्रहीत करण, जिसमें उक्तको लीज, बिक्री हेतु समुदयद्वारा द्वारा हस्तांतरित करने और प्रतियुक्ति आस्थिरता के नदीकरणीक का अधिकार समिलित है और होम फर्स्ट फाइनैन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रतियुक्तियों के हस्तांतरित और हस्तांतरित प्रतियुक्ति आस्थिरता के संबंध में वे सभी अधिकार निहित होंगे, जो आपके द्वारा किए गए हस्तांतरण में निहित हो सकते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के प्रावधानों के प्रतियुक्तियों में, आपको एतद्वारा उपरसंदिर्भित और होम फर्स्ट फाइनैन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड के पास दृष्टिबंधक/ बंधक किसी भी प्रतियुक्ति आस्थिरता को बिक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से (आपके व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर), होम फर्स्ट फाइनैन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना हस्तांतरित करने के संबंध में प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थान: पनसीआर तिथि: 07.06.2025

हस्ताक्षरकर्ता: प्राधिकृत अधिकारी, होम फर्स्ट फाइनैन्स कम्पनी इंडिया लिमिटेड

Cosmo First 
Ahead Always

कोसो फर्स्ट लिमिटेड

पंजी. कार्या: प्रथम तल, उपत्यक प्लाजा, एम-8, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, नई दिल्ली-110025
CIN: L92114DL1976PLC080355 फोन: 011-49494849 फैक्स: 011-49494950
ई-मेल: investor.relations@cosmofirst.com, वेबसाइट: www.cosmofirst.com

कंपनी के शेयरधारकों के लिए सूचना

विषय: अदभुत/अव्यक्तकृत लाभार्थी के दावे के लिए रिफाइनड और आईईपीएक प्राधिकारी को इतिवृत्ति और सलाह के अंतरण

शेयरधारकों को सूचनादाता सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संस्था निधि प्राधिकरण (निवेशक, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं समायोजन) 2016 (आईईपीएक विनियम) और संस्था अधिनियम संशोधन के साथ विनियम की कड़ी अनिवार्य, 2013 ("अनिवार्य") को धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार में विनियम पूर्व 2017-18 के दौरान घोषित लाभार्थी को उनके ही अवधि से अदावतकृत है, उसे 09 फरवरी, 2025 को या उसके बाद आईईपीएक के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर विनियम पर विवरण प्राप्त करें और अधिक के लिए लाभार्थी अदावतकृत है, उन्हें भी नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिरिक्त किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएक को अंतरित नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर किसी भी न्यायालय/अधिकरण ने रोक लगाया का विशेष आदेश दिया हो या जहां शेयर डिफॉल्टरीज अधिनियम, 1996 के अधीन रद्द/बंद/कैंसल है।

आईईपीएक नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तित्व रूप से सूचना भेज दी है और आईईपीएक को अंतरित किया जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण समालोचक डाटा पर भी उपलब्ध है। संलग्नित शेयरधारक-आईईपीएक प्राधिकरण को अंतरित किया जाने वाले अपने शेयरों के विवरणों के सत्यापन के लिए <https://www.cosmofirst.com/investors/shareholders-information> को देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है किया जाता है कि आईईपीएक को ऐसे किसी अंतरण से पूर्व विनियम पूर्व 2017-18 पर उससे जारी की अवधि के दौरान घोषित लाभार्थी का दावा कर लें।

संबंधित शेयरधारक निम्नके शेयर सौंपक प्रतीक प्राकृत में धारित है और आईईपीएक को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएक को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उक्त द्वारा जारी मुद्रा शेयर प्रमाणपत्रों के बटले ड्यूलीकॉपी शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी ड्यूलीकॉपी शेयर प्रमाणपत्रों को डिमिट प्राकृत में बदलने और आईईपीएक के पास में अंतरण के लिए कॉपीकॉपी कार्यकलाप के माध्यम से बाजार में शेयरों को सुचित करेगी। मुद्रा शेयर प्रमाणपत्र को मुद्रा शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, जो कि स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और नए-निविन्धन योग्य जमा जाएगा।

संबंधित शेयरधारक निम्नके शेयर डिमिटरीजलाइड प्रयोजन में हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएक के डिमिट खातों में शेयरों के अंतरण के लिए कॉपीकॉपी कार्यकलाप के माध्यम से डिमिटरीज को सुचित करेगा। शेयरधारक कृपया नोट करें कि अदावतकृत लाभार्थी एवं शेयर एक बार आईईपीएक प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के बाद आईईपीएक नियमों (आईईपीएक वेबसाइट <http://www.iefp.gov.in> देखें) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएक प्राधिकरण के पास अपना दावा कर सकते हैं और इस संघर्ष में कंपनी के पास कोई दावा या सूचना प्राप्त नहीं होगी। यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 31 अक्टूबर, 2025 तक या उसके पूर्व कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी ऐसे शेयरों/लाभार्थी को आईईपीएक प्राधिकरण के पास जमा कर देगी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर संबंधित में उपाधिपति सभी लाभ, लाभार्थी आईईपीएक प्राधिकरण को अंतरित कर किये जायेंगे।

इस विषय में किसी भी पुष्टाकरण के लिए आप investor.relations@cosmofirst.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या कंपनी के सहायक एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, अलंकीक एसायर्सस लिमिटेड, 4ई/2, अलंकीक हाउस, अंबेडकार एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110055, ई-मेल: ita@alanki.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते कोसो फर्स्ट लिमिटेड
हस्ता/
ज्योति दीक्षित
कंपनी सचिव

एजीएम एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। निम्न ई-वोटिंग एप्लिकेशन **बुगरस**, 21 जून, 2025 को **युवा 800 बूट** (आईएसटी) से शुरू होगी और **सुबरात्र**, 27 जून, 2025 को **शाम 5:00 बजे** (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसएसएल द्वारा निर्धारित ई-वोटिंग मॉडल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले प्रस्तावों पर निम्न ई-वोटिंग द्वारा आवाज वोट सादर है, वे वीसी/आईएमएस के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे प्रस्तावों पर फिर से अपना वोट सादर करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भौतिक रूप से श्वेत सूचना प्राप्त कोई भी व्यक्ति/पैन-केवाईडी पूरा होने के बाद युवा अंडी और भौतिक प्रश्न से श्वेत सूचना प्राप्त कर सका है। पैन-केवाईडी पूरा करने के लिए, कृपया फॉर्म आईएसएस-1, आईएसएस2 (यदि हस्ताक्षर आदीए/कंपनी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते) और एजीएम अव्यक्त नाम सर्विस लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-11, नई दिल्ली-110020 को भेजें।

व्यक्तिगत श्वेत सूचना को डीमॉन्स्ट्रेशन/राइटिंग मोड में प्रतिनिधित्व रखते हैं और जो कंपनी के श्वेत प्राप्त करते हैं और सूचना भेज जाने के बाद कंपनी के सचिव वरतें हैं और जो व्यक्ति निम्नित ताल श्वेत रखते हैं, वे एजीएम की सूचना में उपस्थित प्रदर्शनों का पालन कर सकते हैं।

निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता परपक्षों तर्कों से जांच सकते हैं। निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया (श्वेत सर्टिफिकेट नंबर 2441/2022), प्रैक्टिस कमीटी सेक्रेटरी को क्यूटिडन/इडएल एप्लिकेशन को फर्म में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल ने 24 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 10% नया शे. 10/- प्रति इक्विटी शेयर के र. 1/- की दर से अंतिम वित्तीय निष्पक्षता की है। यदि चर्चा में लाभार्थी को भुंगी भी जाति है, तो सहायक भुगतान प्राप्ता की निधि से 30 दिनों की अवधि के भीतर उन सदस्यों को किया जाएगा, जिन्होंने क्यूटिडन/एप्लिकेशन/सीसीएसएल द्वारा उपलब्ध करण पूरा आंकड़ों में शामिल 21 जून, 2025 (फिक्स्टड एडिस) को कारोबार समय की समाप्ति पर दिखाई देते हैं और उन मामलों को प्रामांय करने के बाद, जो 21 जून 2025 तक ट्रांसमिशन/ट्रांसमिशनकर्ता के लिए आदीए द्वारा प्राप्त हुए हैं, खोत पर कर कटौती के अधिन, जहाँ भी लागू हो। सौरी के 16/03/2023 के परिपत्र के अनुसार भौतिक मोड में श्वेत रखने वाले शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाभार्थी का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार श्वेत सूचना को फिर से सलाह है कि वे सूचना में दिये गये अनुदेशानुसार अपने पैन-केवाईडी को बंद विवरण प्रजीकृत करें।

किसी भी निदेशक की स्थिति में, आप www.evoting.snl.com के श्वेतनलॉड अनुभाग में उपलब्ध श्वेत सूचनाओं के लिए प्रश्न पूछें जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और डाउनलोड करने के लिए ई-वोटिंग एप्लिकेशन/पुस्तिका देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

या evoting.snl.com पर (सर्वसुरी महारों) के एक अग्रणी पैनल के लिए।

एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी की वेबसाइट www.mawanasugars.com और स्टॉक एक्सचेंज ऑन बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.ncindia.com और नेशनल डिमांडरेडिटर डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.snl.com पर उपलब्ध है।



कृते मवाना युगरस लिमिटेड
हस्ता / -
(अशोक कुमार युक्ता)
कंपनी सचिव
एप्रील : 2067

स्थान : इरुगुम
दिनांक : 8 जून, 2025

[illegible]



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रीय" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: हल्द्वारीपैठी, साहिबबाबाद, गाजियाबाद, उपग्रह-201005

कच्चा सूचना (अवलम्ब्य सम्पत्ति के लिए)

परिशिष्ट-IV नियम-8(1) देखें

जबकि अयोध्याशाही ने वित्तीय परिस्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (हितवी) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के तहत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एलआरपीजी शाखा साहिबबाबाद, गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ परिशिष्ट धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता: श्री वीरेंद्र प्रसाद पुन श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद और सह-उधारकर्ता: श्रीमती चिता देवी पत्नी श्री वीरेंद्र प्रसाद को मांग सूचना दिनांक 30.01.2025 को जारी किया जा जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 4,83,562.16 (रु. चार लाख तिरासी हजार पाँच सौ बासठ और पैसे सोलह मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा अनजना को सूचित किया जाता है कि अयोध्याशाही ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ परिशिष्ट, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 04.06.2025 को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एलआरपीजी शाखा, साहिबबाबाद, गाजियाबाद के प्रभाव वाले कच्चा राशि रु. 4,83,562.16 (रु. चार लाख तिरासी हजार पाँच सौ बासठ और पैसे सोलह मात्र) और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिस्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अवलम्ब्य संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें रिहायशी प्लॉट नं. जीएफ-4, कवर्ड परिधि 200 गज आवासीय क्लोनीन स.एल.एफ. देव विहार जोकि प्लॉट नं. ए-48, हसरान नगर 1278, हनुमन्त गार्ड लोनी, उप डिवीजन और तहसील लोनी, जिला - गाजियाबाद यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्री वीरेंद्र प्रसाद पुन श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद के नाम पर है, मूल बिक्री विलेख के अनुसार, श्री वीरेंद्र प्रसाद पुन श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद के पक्ष में, क्र.सं. 782, बही नं. 1, जिल्द नं. 19562, पेज नंबर 345-384 दिनांक 10/01/2012 के तहत

सीमाबद्ध:

संपत्ति का विवरण:

उत्तर: प्लॉट नं. ए-49	दक्षिण: प्लॉट नं. ए-47
पूर्व: प्लॉट नं. ए-57	पश्चिम: सड़क

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया



Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

घारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप निम्नवर्णित कर्जदार ने तालिका में वर्णित सम्पत्ति बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्नवर्णित ऋण अनुबंध के संकेत में कर्जदार/सह-कर्जदार गारंटर हैं। आपके द्वारा की गई चुकों के फलस्वरूप आपका ऋण खाला वित्तीय आसित्यों का प्रतिनिधिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति शिष्ट प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशोधित संस्करण) के प्रावधानों के तहत दिनांक 03-06-2025 को अनाजक आसित की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। हम, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड ने सरकारी एंक्ट की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1) के तहत मांग सूचना आपके द्वारा प्रस्तुत पत्रों पर जारी की थी। उक्त सूचनाएं 03-06-2025 को जारी की गई हैं और इन सूचनाओं में बयान किया गया है कि आपने अपने मंजूर किए गए विभिन्न ऋणों के भुगतान में मुक की है। अतएव, सूचना की तारीख के लिए यह सूचना सरकारी एंक्ट की धारा 13(2) के प्रावधान तथा प्रतिभूति शिष्ट (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के निम्नानों में प्रकाशित की जा रही है :

क्र. सं.	खाता, कर्जदार(री), एवं गारंटर(री) का नाम और पता	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा कुल बकाया राशि + आगे बाका और अन्य खर्च (रु. में)
1.	मनीष बारदाज, राकेश कुमार बारदाज	मकान-मकान नं-8, जो ग्राम घरीदा, नीम का बांगर, पटपडगंज, खसरा नंबर -480/108, ग्राम पटपडगंज इलाका शाहदर, दिल्ली, नई दिल्ली-110091 की लाल खेत आबादी औद्योगिक में स्थित है। चौहद्दी - उत्तर : सम्पत्ति का शेष भाग, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : गली, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	12,14,943
2.	रघना, अमित कुमार	प्लैट-एस्एफ-1, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 1, खसरा नंबर 1565, बिरजा कालोनी, ग्राम रईसपुर, परगना डासन, गाजियाबाद (उप्र), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201013, चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नंबर 2, पूर्व : 19' चौड़ी सड़क, पश्चिम : सतेंद्र फौजी और संगीता का मकान, दक्षिण : 27' चौड़ी सड़क।	15,05,913
3.	सलमा सिद्दीकी, रिजवाना परवीन, फैजान सिद्दीकी	प्लैट-टी-3, बैक साइड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर बी-1/115, खीएलफ दिलसाद एक्सटेंशन-2, एलएएफए, खीएलफ दिलसाद एक्सटेंशन-2 ग्राम भोपुरा परगना लोनी तहसील और जिला हाथरस (यूपी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005, चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नंबर बी-1/114, पूर्व : 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट नंबर बी-1/118, दक्षिण : प्लॉट नंबर बी-1/116	11,45,945
4.	स्वर्णीय संजय पायिया (मुतक), ज्योति, स्वर्णीय संजय पायिया (मुतक) के अन्य कानूनी प्रतिनिधि	प्लॉट नंबर आई-7, ब्लॉक आइ, सुंदरम सेक्टर एन्क्लेव, खसरा नंबर 508, अकरोड़ा, कोआसीपूर राइस मिल के पास, परगना एवं तहसील-दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203207, चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नंबर आई-8, पूर्व : रोड 22' चौड़ी, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : प्लॉट नंबर आई-6	11,34,743
5.	मान सिंह, कैलाश कंवर	प्लैट-82-बी, स्कीम केसर वाटिका, माधवा, कलवार रोड, जयपुर, राजस्थान-302012, चौहद्दी - पूर्व : प्लॉट नंबर 82 और 82-ए, पश्चिम : प्लॉट नंबर 83, उत्तर : प्लॉट नंबर 81, दक्षिण : सड़क 30 फीट	11,05,219
6.	अनीता देवी, निरंज सिंह	रो हाउस-प्लॉट नंबर 178, सुकौर्ती विहार-9, ग्राम टाटियावासर, जयपुर, जयपुर, राजस्थान-303701, चौहद्दी - पूर्व : अन्य, पश्चिम : सड़क 30 फीट, उत्तर : प्लॉट नंबर 179, दक्षिण : प्लॉट नंबर 177	7,08,896
7.	नरेश कुमार, बेदी	प्लॉट नंबर-41 के भाग पर मकान, खसरा नंबर-1460, बाई नंबर-59, बिलाएल एन्क्लेव सीतापुर, परगना, ज्वालापुर तहसील और जिला हरियाणा, नगर निगम हरिद्वार के बाहर, हरिद्वार, उत्तराखंड, 246407, चौहद्दी - पूर्व : प्लॉट नंबर-41 का पूर्वी भाग, पश्चिम : रास्ता 20', उत्तर : रास्ता 18', दक्षिण : प्लॉट नंबर-42	16,55,560
8.	सुरेश कुमार यादव, सुमन देवी	हाउस-5, बालाजी विहार, सिरसली, तहसील आमेर, जयपुर, जयपुर, राजस्थान-302028, चौहद्दी - पूर्व : प्लॉट नंबर 4, पश्चिम : अन्य भूमि, उत्तर : सड़क 30 फीट, दक्षिण : अन्य भूमि	10,70,820
9.	नीतीशा कुमार शर्मा, मुन्नी देवी	प्लॉट नंबर 16 पर मकान, खसरा नंबर 632, माही निवास, ग्राम-बूरा मनिक्पुर, तहसील-दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, जी.बी.नगर, उत्तर प्रदेश, 203207, चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नंबर 15, पूर्व : सड़क 16' चौड़ी, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : प्लॉट नंबर 17.	8,53,226
10.	पूजा, गोख शर्मा	प्लॉट नंबर 213 का आवासीय भाग, क्षेत्रफल परिमाण 60 वर्ग गज (उत्तर की ओर का भाग), एम्पू नंबर 55, किला नंबर 22, 23/1/2, 23/2/58/1, 2, 55/8/1, 8/2/13, 18, 21/2 वाकाम मेंजा ऊंधा गांव, रेल विहार, तहसील बल्लमगढ़, जिला एफ, फरीदाबाद, हरियाणा, 121004, चौहद्दी - पूर्व : 18 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : 24 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट का भाग	18,53,311
11.	अतेंद्र कुमार, निरंज, रेखा चौपड़ा	प्लैट-प्लैट नंबर एसएफ-1, द्वितीय तल, छत के अधिकांश के साथ (फ्लैट आरएचएस), प्लॉट नंबर ए-88, ब्लॉक-ए, खसरा नंबर 348, रेल विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102, चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नंबर ए-79, पूर्व : प्लॉट नंबर ए-87, पश्चिम : प्लॉट नंबर ए-89, दक्षिण : 30' चौड़ी सड़क।	16,18,901
12.	शबनम, इशराद सलमाने	प्लैट नंबर-एफएफ-1, प्रथम तल आरएचएस, प्लॉट नंबर 37, खसरा नंबर 78, सुदामापुरी कालोनी (कुष्मा वाटिका), ग्राम डूंडाछा, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201009, चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नंबर 38, पूर्व : 20' चौड़ी सड़क, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति।	10,69,045
13.	राजीव, किंकिता	रो हाउस-मकान नंबर 43, खसरा नंबर 43, मकान नंबर 43, खेत नंबर 43 मिन्, वाके ग्राम-कुलुंसी (महात्मा एन्क्लेव फेज-2) तहसील-कदपुर, जिला-उत्तराखंड, रुद्रपुर, उत्तराखंड-263163, चौहद्दी - पूर्व : बगइची फेज-2, पश्चिम : 9.0 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर : प्लॉट नंबर 44, दक्षिण : प्लॉट नंबर 42	25,11,039
14.	मयंक कुमार, सुनीता देवी	आवासीय प्लॉट नंबर 50, खसरा नंबर 451, कनिक एन्क्लेव, ग्राम रावली महदूद, परगना ज्वालापुर, तहसील हरिद्वार, नगरपालिका शिवालयिक नगर के बाहर, हरिद्वार, उत्तराखंड-249403, चौहद्दी - पूर्व : प्लॉट नंबर 48, पश्चिम : प्लॉट नंबर 51, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : रास्ता 25' फीट	11,76,307
15.	निशा देवी, छोदू राम जोगी	रो हाउस-प्लॉट नं. 83, हनुमान एन्क्लेव, स्थित : कालख, जोबेन रोड, जयपुर, राजस्थान-302012, चौहद्दी - उत्तर : प्लॉट नं. 83-ए, पूर्व : रोड 30', पश्चिम : प्लॉट नं. 45 और 46, दक्षिण : सड़क	7,71,301
16.	मुजफ्फर हसन कुदुसी, नजहत परवीन	सम्पत्ति खाता नंबर 1058 (फसली 1398 से 1401), खसरा नंबर 282, क्षेत्रफल परिमाण 45.68 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 283, क्षेत्रफल परिमाण 13.92 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 59.48 वर्ग मीटर, गांव मास्वाला झील, परगना केन्द्रीयदूर, देहरादून, उत्तराखंड, 248001, चौहद्दी - उत्तर : विक्को की भूमि साइड 40', पूर्व : 16 फीट चौड़ी सड़क साइड 16', पश्चिम : विक्को की भूमि साइड 16', दक्षिण : अन्य की भूमि साइड 40'	11,42,258
17.	हर्षदीप सिंह, नीलम कौर	प्लॉट-गाटा नंबर 354 मिन्, चक नंबर 100, प्लॉट नंबर 207, खिबिबा, बिलासपुर, खसरा नंबर 354 मिन्, चक नंबर 100, प्लॉट नंबर 207 सम्राट कालोनी ग्राम खिबिबा, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश - , बिलासपुर, उत्तर प्रदेश-244923, चौहद्दी - पूर्व : प्लॉट नंबर 192 मुकौल (45 फीट), पश्चिम : 6 मीटर चौड़ी	



homefirst
We'll take you home

Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703,

Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट-IV-ए (नियम 8(6) के परंतुक देखें)
अचल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसंधारण को तथा विशेष रूप में कालम (ii) के अनुसार कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित कालम (iii) के अनुसार निम्न विवरणित अचल सम्पत्तियाँ, जिनका होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहाँ नीचे विवरणितानुसार अपनी बकाया राशियों और ब्याज की वसूली करने के लिए भौतिक कब्जा कर लिया गया है, और बूँक बकाया राशियों का प्रतिभूतगुतान करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप अब अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रवर्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत उक्त संपत्ति/यों के विक्रय द्वारा बकाया राशियों की वसूली करने का प्रस्ताव रखते हैं अतः इनका संपत्तियों का विक्रय यहाँ नीचे विवरणितानुसार "जैसी हैं जहाँ हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर किया जाएगा। होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को देय-मुगतेय कालम (i) के अनुसार कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) से बकाया राशि की वसूली के लिए नीलामी का संवाहन "ऑनलाइन" होगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) का नाम	सम्पत्ति पता	मांग सूचना की तिथि	मंग सूचना राशि	कब्जा की तिथि	बाजार मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	ईएमडी एवं दस्तावेज पना करने की अंतिम तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नम्बर
1.	अरुनी कुमार गर्ग, सुनीता गर्ग	प्लैट नंबर जीएफ 104, रियर एएलएएस साइड पार्किंग, प्लॉट नंबर- सी 1/10, डीएलएफ अंशुर विहार, ग्राम सादुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-201102	03-10-2023	16,70,631	23-05-2025	13,77,000	1,37,700	08-07-2025 (11am-2pm)	06-07-2025 (upto 5pm)	8957446032

ई-नीलामी सेवा प्रदाता

कम्पनी नाम : ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (ऑक्शन टाइगर)
हेल्पलाइन नंबर : 079-35022610/149/182
संपर्क हेतु व्यक्ति : राम शर्मा - 8000023297
ई-मेल आईडी : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net

ई-नीलामी वेबसाइट/विकरों, अन्य नियमों एवं शर्तों के लिए

<http://www.homefirstindia.com>
<https://homefirst.auctiontiger.net>

खाता सं: ईएमडी/अन्य राशि जमा करने के लिए

912020036268117-
होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड-
एक्सिस बैंक लि., एम्नाईडीसी, ओरी पूरव

शाखा आईएफएससी कोड

UTIB0000395

लगावर्धी का नाम

प्राधिकृत अधिकारी, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड

बोली बुद्धि राशि - ₹. 10,000/-, विक्रय जो होगा वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेब पोर्टल (<https://homefirst.auctiontiger.net>) पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से होगा। ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रारंभ, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी विक्रय के सामान्य नियमों एवं शर्तों से समाविष्ट ई-नीलामी निविदा प्रलेख पोर्टल साइट पर उपलब्ध है। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वात्मक ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहाँ संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी गई संपत्ति/यों के ऋणभारों, नगमाधिकार तथा संपत्ति को प्रभावित करनेवाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन होम फर्स्ट की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी अनिवेदन को संस्थापित नहीं करता और संस्थापित करत हुआ नहीं माना जाएगा। संपत्ति का विक्रय होम फर्स्ट को ज्ञात अथवा अज्ञात समस्त विघटन एवं भावी ऋणभारों के साथ किया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रभूत ऋणदाता किसी भी प्रकार किसी तृतीय-पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। विक्रय जो होगा वह वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगा। **किसी विसंगति की स्थिति में सूचना का अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक माना जाएगा।**

लेटरफाली ऐक्ट, 2002 के तहत विक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदारों/गारंटरों को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अचल ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ मांग सूचना में अंकितानुसार राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/विक्रय कर दिया जाएगा और शेष बकाया राशियों, यदि कोई हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी।

दिनांक : 07-06-2025 स्थान : एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड